

न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर
हकियत वाद-46 / 2021

संतलाल राय वगैरह.....वादी

बनाम

शाहिल कुमार वगैरह.....प्रतिवादीगण

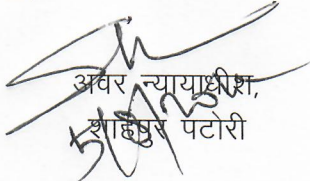
आदेश

05.08.22 पुकार पर उभय पक्षों के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी की ओर से एक आवेदन अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी0 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदन पर कोई विरोध नहीं किया गया।

वादी ने अपने आवेदन में निवेदन किया है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0-2 अरुण कुमार राय का देहांत दिनांक-15.06.2022 को हो गया है जो अपने पीछे अपनी विधवा पत्नी, पुत्र और पुत्रियों को छोड़ गए हैं तथा जिनके स्थान पर उनकी विधवा पत्नी तथा वारिसान का नाम वादपत्र में वादी के रूप में प्रतिस्थापित किया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मृत वादी सं0-2 के स्थान पर उनकी विधवा पत्नी तथा वारिसान का नाम वादपत्र में वादी खाने में प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए। प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदन पर मौखिक सहमति जतायी है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में मृत वादी सं0-2 के स्थान पर उनके विधिक उत्तधिकारियों को प्रतिस्थापित करना वाद के अंतिम न्याय-निर्णयन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है तथा प्रतिवादी सं0-1 ता 3 की ओर से प्रतिवाद पत्र दाखिल किया गया है जिसे स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदन का कोई विरोध नहीं किया गया है। वादी का आवेदन शपथ-पत्र से समर्थित है। अतः आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया गया जाता है। कार्यालय तदनुसार मृत वादी सं0-2 के स्थान पर उनके वारिसान का नाम वादपत्र में वादी के रूप में प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक- 12.08.2022 वास्ते सुनवाई।


अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी